## न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

**अपील सख्याः–345/17**

1. गुड्डी देवी पत्नी शिशपाल, जाति खाती, निवासी ग्राम कांट, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

**––अपीलान्ट**

**बनाम**

1. हरिनारायण पुत्र घासी, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कालवाड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. मानाराम पुत्र घासी, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कालवाड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. दुलाराम पुत्र घासी (फौत)
   - 3/1. बंशी देवी पत्नी स्व. दुलाराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कालवाड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   - 3/2. अशोक पुत्र स्व.दुलाराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कालवाड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   - 3/3. शेखर पुत्र स्व. दुलाराम जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कालवाड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   - 3/4. सुमन पुत्री स्व. दुलाराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कालवाड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. तेजाराम पुत्र घासी जाति गुर्जर, निवासी ग्राम कालवाड, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

**––रेस्पोडेन्ट्स**

## निर्णय

**दिनांकः 16.10.17**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के आदेश दिनांक 25.05.2017 (प्रकरण संख्या 8/2004) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी न ग्राम कालवाड़ तहसील आमेर में खसरा नम्बर 950 रकबा 0.56 हैक्टयर में से 500 वर्गगज प्लॉट का क्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक क्रम संख्या 2004003808 दिनांक 08.09.2014 को क्रय किया था, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 122 ग्राम कालवाड, तहसील आमेर ग्राम पंचायम कांट द्वारा दिनांक 20.09.2004 स्वीकार किया गया, उक्त नामान्तरकरण की अपील प्रत्यार्थी संख्या 1 व 2, 3 व 4 कि पिता दुलाराम द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहॉ की गई जो उपखण्ड अधिकारी के यहॉ विचाराधीन थी, जिसमें अपीलार्थीया के अधिवक्ता श्री बी.एम.गुर्जर ने अपना वकालतनाम दिनांक 05.09.2005 को प्रस्तुत कर दिया गया था, प्रकरण विवादग्रस्त था एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 अपीलार्थी की मृत्यु दिनांक 17.09.2012 को ही हो चुकी थी, जिसकी कायम मुकामी का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09. 2015 को प्रस्तुत किया गया, जो जेरे बहस था जिसकी अग्रिम तारीख

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 17.11.2015 को रखी गई इसके पश्चात् दिनांक 10.09.2017 तक कोई कार्यवाही नही की गई तथा दिनांक 17.05.2017 को प्रकरण विवादस्पद होते हुये लोक अदालत कैम्प कांट में दिनांक 25.05.2017 को रखा गया, दिनांक 25.05.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय सुनवाई कर मनमाने तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के विपरित पक्षपातपूर्ण पारित निर्णय होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रत्यार्थी द्वारा ग्राम कालवाड, तहसील आमेर के गत खसरा नम्बर 231 वर्तमान खसरा नम्बर 950 की आराजी में से 500 वर्गगज का मुख्त्यारनामा का निष्पादन अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी द्वारा गवाहों के समक्ष शिशपाल पुत्र बोदूराम के हक में 30/–रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा तस्दीक कर दिनांक 19.12.1994 को दिया गया था तभी से उक्त आराजी पर मुख्तयारआम काबिज रहता आ रहा है तथा वर्तमान में अपीलार्थीया का रहवास पक्का मकान व चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है, प्रत्यार्थीगण ने अपने अपील मीमों के पांच मुख्त्यारआम से इन्कार नही किया है और न ही प्रत्यार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा उक्त दस्तावेज के आधार पर किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को समक्ष न्यायालय में चैलेन्ज किया गया है, ऐसी अवस्था में मुख्त्यारआम द्वारा किया गया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मान्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त एकपक्षीय निर्णय की जानकारी अपीलार्थीया को नही दी गई, अपीलार्थीया द्वारा पत्रावली पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही गई तो बताया गया कि निर्णय कैम्प में हो गया लेकिन लिखा नही गया है, अपीलार्थी ने नकल हेतु प्रार्थना पत्र पूर्व में भी प्रस्तुत किया गया लेकिन निर्णय लम्बी अवधि तक भी नही लिखे जाने तक अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय से मिसपैलेस कर दिया गया, तत्पश्चात् अपीलार्थीया ने दिनांक 06.09.2017 को दूबारा प्रार्थना पत्र लगाया एवं 08.09.2017 को अपलार्थीया को उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति की नकल दी गई तथा अपीलार्थीया ने अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर खर्चा प्रबन्ध कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2017 निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 122 अपीलार्थीया के हक में यथावत रखने जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। नामान्तरकरण संख्या 122 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार द्वारा 30 रूपये के स्टाम्प पर अपीलान्ट के पति को मुख्त्यारआम बनाया गया है तथा मुख्त्यारआम द्वारा उक्त 30/– रूपये के अपंजीकृत मुख्त्यारनामे के आधार पर अपनी पत्नी गुड्डी देवी के नाम विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया है जिसके आधार पर वादग्रस्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, जो भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायलाय उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2017 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।